श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

A Central University established by an Act of Parliament

(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

दिनांक:- 14.12. 2020

क्रमांक: F.1/ला.बा.शा.रा.सं.वि./सा.प्रा.(171) /2020-21/ 608

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी कार्यालय की कार्यावधि के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में अपने निजी वाहनों की सफाई व धुलाई करवाते हुए पाए गए है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार का आचरण अत्यंत अशोभनीय है तथा विश्वविद्यालय की गरिमा को खंडित करता है। सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रकरण का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया है।

इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित पार्किंग नियम तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है :-

(1) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों एवं आगंतुकों के निजी वाहनों की पार्किंग के लिए निम्नलिखित स्थानों को चिह्नित किया जाता है:-

शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए चिह्नित पार्किंग स्थान:-

i. मुख्य प्रवेश द्वार (Gate No. 1) पर स्थित गार्ड रूम के सामने का क्षेत्र (कार व अन्य हल्के वाहनों हेतु)

ii. मुख्य प्रवेश द्वार (Gate No. 1) पर स्थित गार्ड रूम के बायीं से ओर STP प्लांट तक का क्षेत्र (दोपहिया वाहनों हेतु)

iii. सारस्वत साधना सदन से अथिति गृह तक दोनों पार्कों के बीच का क्षेत्र (कार एवं दोपहिया वाहनों हेतु)

बाहरी आगंतुकों (Visitors) के लिए चिह्नित पार्किंग स्थान:-

i. मुख्य प्रवेश द्वार (Gate No. 1) पर स्थित गार्ड रूम के सामने का क्षेत्र (कार व अन्य हल्के वाहनों हेतु)

ii. मुख्य प्रवेश द्वार (Gate No. 1) पर स्थित गार्ड रूम के बायीं से ओर STP प्लांट तक का क्षेत्र (दोपहिया वाहनों हेतु)

(2) सारस्वत साधना सदन एवं स्वर्ण जयंती सदनं के सामने तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के आस-पास सभी प्रकार के निजी वाहनों का प्रवेश व पार्किंग वर्जित है।

(3) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को अपने अधिकृत पार्किंग स्टीकर्स वाले निजी वाहनों को केवल निर्धारित चिह्नित पार्किंग स्थानो पर खड़े करने की सलाह दी जाती है।

(4) विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को कार्यालय की समयावधि के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में अपने निजी वाहनों की सफाई, धुलाई, इत्यादि ना करने/करवाने की सलाह भी दी जाती है।

उपरोक्त के संदर्भ में विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपने वाहनों को पार्किंग के लिए निर्धारित चिह्नित स्थानों पर ही पार्क करें तथा कार्यालय की कार्यावधि के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में अपने निजी वाहनों की सफाई या धुलाई ना करें/करवाएं। समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है इस कार्यालय आदेश के निर्देशों का अनुपालन करें अन्यथा दोषी पाए जाने पर यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

जे. पी. सिंह 14/12/2020

(जे. पी. सिंह)
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(1) समस्त संकाय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष
(2) ओ.एस.डी (परीक्षा)
(3) समस्त उप-कुलसचिव
(4) अधिशासी अभियंता
(5) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
(6) संगणक प्रमुख को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
(7) समस्त सहायक कुलसचिव
(8) माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव
(9) समस्त अनुभाग अधिकारी
(10) समस्त सूचना पट्ट
(11) संबंधित पंजिका

जे. पी. सिंह 14/12/2020

(जे. पी. सिंह)
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

For n/a pls
13/12/2020

Sh Ryan